न्यायालय सहायक कलक्टर जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या- 83/2018

1- अंजू पत्नि स्व. ओमप्रकाश पुत्र स्व छगनलाल।

2- सपना सिंवर पुत्री स्व. ओमप्रकाश उम्र 15 वर्ष नाबालिग संरक्षक वालिया माता अंजू पत्नि स्व ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जोचिणा तहसील जायल जिला नागौर।

..................वादीगण

बनाम

1- पार्वती देवी पत्नि स्व. छगनलाल

2- जंवरीमल पुत्र स्व. छगनलाल

3- गीता

4- संतोष पुत्रियां स्व. छगनलाल जाति जाट निवासी जोचिणा तहसील जायल जिला नागौर।

5- मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा सेल तहसील जायल

6- सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:-

1- श्री बस्तीराम ढाका वादीगण की ओर से।

2- श्री हनुमानराम मण्डा प्रतिवादी सं. 01 से 02 की ओर से।

3- श्री ओमप्रकाश गोदारा प्रतिवादी सं. 03 से 04 की ओर से।

-: निर्णय :-

दिनांक : 09.08.2019

वादी वादीगण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा जोचिणा के खेत खसरा नम्बर 33 रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा, खेत खसरा नं. 38 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, खेत खसरा न. 60 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा, खेत खसरा नं. 76 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खेत खसरा नं. 156 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, खेत खसरा नं. 292 रकबा 07 बिस्वा, खेत खसरा न. 293 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा, खेत खसरा नं. 295 रकबा 06.02.08 बीघा, खेत खसरा नं. 792/295 रकबा 0.02.04 बीघा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बंटवाडा सम्वत 2070 की आखातीज को कर लिया है। बंटवाडा स्कीम निम्न प्रकार है:-

1. यह है कि वादी सं. 01 व 02 के शामिलाती हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा जोचिणा के खेत खसरा नं. 38 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा पूरा, खेत खसरा नं. 60 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा, खेत खसरा नं. 293 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा, खेत खसरा नं. 76 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खेत खसरा नं. 792/295 रकबा 0.02.04 बीघा रखा गया।
2. प्रतिवादी सं. 01 पार्वती देवी के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा जोचिणा के खेत खसरा नं. 156 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी सं. 02 के हकबंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा जोचिणा के खेत खसरा नं. 33 रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा पूरा, खेत खसरा नं. 295 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा पूरा रखा गया है।

सहायक कलक्टर
एवं. से. मं.) जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क, ख, ग व घ के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 से 02 की ओर से वकील श्री हनुमानराम मण्डा ने ईकरारी जवाब व राजीनामा प्रस्तुत किया व प्रतिवादी सं. 03 से 04 की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश गौदारा ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 01 से 02 की ओर से इनकी पहचान देकर इन की ओर से राजीनामा वकील श्री हनुमानराम मण्डा ने पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 से 02 के बीच राजीनामा होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नही किये गये। प्रकरण मे विद्धवान अधिवक्ताओं वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 से 04 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यो के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सगी पक्षकारों में राजीनामा होने के कारण राजीनामें के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :-

1. यह है कि वादी सं. 01 व 02 अंजू व सपना सिंवर के शामिलाती हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा जोविणा के खेत खसरा नं. 38 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा पूरा, खेत खसरा नं. 60 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा, खेत खसरा नं. 293 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा, खेत खसरा नं. 76 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खेत खसरा नं. 792/295 रकबा 0.02.04 बीघा रखा गया।
2. प्रतिवादी सं. 01 पार्वती देवी के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा जोविणा के खेत खसरा नं. 156 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी सं. 02 जवरीमल के हकबंट कब्जाकाश्त व खातेदारी मे वाके मौजा जोविणा के खेत खसरा नं. 33 रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा पूरा, खेत खसरा नं. 295 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा पूरा रखा गया है।

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर जायल
सहायक कलक्टर
(पूर्व. डी. पी.) जायल (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 09.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर जायल
सहायक कलक्टर
(पूर्व. डी. पी.) जायल (नागौर)

Scanned by CamScanner